

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर मण्डारी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 04 / 2024

1. सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला केकड़ी।

..... सायल

बनाम

2. मोहम्मद पंवार पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान नि0 कालू पीर बाबा के पास बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी।

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :- 1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेटोकार।
2-गैर सायल एवं उनके अभिभाषक श्री हेमेन्द्रसिंह राठौड़

::-निर्णय--::

दिनांक 22.10.2024

1. पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा गैर सायल मोहम्मद पंवार पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान नि0 कालू पीर बाबा के पास बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृत्ति में लीन है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।
2. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा जरिये अभिभाषक लिखित में जवाब पेश किया। अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।
3. अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध अभियोग क्रमशः 01/2016 दिनांक 01.01.2016 थाना सरवाड़, 93/2016 दिनांक 02.04.2016 थाना सरवाड़, 275/2016 दिनांक 09.09.2016 थाना सरवाड़, 01/2017 दिनांक 01.01.2017 थाना सरवाड़, 67/2017 दिनांक 01.03.2017 थाना सरवाड़, 353/2017 दिनांक 17.12.2017 थाना सरवाड़ धारा 13 RAGO अधिनियम में दर्ज होकर सभी 6 प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना व जुआ खेलने का अपराध करने लग गया है। आम आदमियों को डराने-धमकाने जैसे अपराध करने व लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता है जिसकी वजह से समाज के लोगों पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

केकड़ी

काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावे।

4. गैर सायल के अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 13 RAGO अधिनियम के है न कि किसी बड़े अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।
5. हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं अभिभाषक गैर सायल की बइस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरुद्ध उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।
6. अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, केकड़ी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल मोहम्मद पंवार पुत्र अब्दुल शकूर जाति मुसलमान नि0 कालू पीर बाबा के पास बड़ा मोहल्ला सरवाड़ पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी को दिनांक 22.10.2024 से 05.11.2024 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना सरवाड़ जिला केकड़ी से पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना सावर जिला केकड़ी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फ़ैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

— श्री
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी